साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–संस्था का प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2–संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3–संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4–नियमो में सशोधन परिवर्तन व परिवर्धन करना।

प्रबन्धकारिणी समिति –

गठन– साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यो को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमे अध्यक्ष–1 उपाध्यक्ष–1,सचिव–1, कोषाध्यक्ष–1 तथा सदस्य–05 होगें इस प्रकार कुल संख्या–09 होगी तथा आवश्यकतानुसार सदस्य संख्या बढाई घटाई जा सकती है।

बैठकें– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की

सूचना आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यो की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

रिक्त स्थान की पूर्ति–

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यो के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–संस्था की उन्नति हेतु आवश्यक कार्य करना।
2–संस्था का वार्षिक बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3–दान,अनुदान,चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के विकास में लगाना।
4–उददेश्यों की पूर्ति हेतु राज्यसरकार,केन्द्रसरकार,समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 एवं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड,महिला कल्याण निगम,सूडा,डूडा,नाबार्ड,कपार्ट,सिडवी, सिपसा, अल्पसंख्यक विभाग,मानव संसाधन विकास मंत्रालय,ग्रामोद्योग आयोग ग्रामोद्योग बोर्ड,कृषि मंत्रालय विकास विभाग,मद्य निषेध, सांस्कृतिक विभाग,प्रोढ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा एवं बाल विकास कल्याण निदेशालय,देशी विदेशी से ऋण अनुदान,चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के उददेश्यों की पूर्ति में लगाना।

कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

AhsanRaza

Kamran

9 प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियो के अधिकार एवं कर्तव्य –

अध्यक्ष–

1. समस्त बैठको की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकों के लिए दिनांको का अनुमोदन,परिवर्तन तथा बैठकों को स्थगित करना।
4– बैठक मे शान्ति व्यवस्था कायम रखना।

उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे कार्य करना और उसके कार्यो मे सहयोग प्रदान करना।

सचिव –

1. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
2– समस्त बैठको की सूचना सदस्यों को लिखित रूप मे देना।
3– बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।
4– संस्था के समस्त पत्र व्यवहार करना।
5– संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
6– प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
7– पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
8– समस्त बैठको की सूचना सदस्यों को लिखित रूप मे देना।
9– बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।
10– संस्था के समस्त पत्र व्यवहार करना।
11– राजकीय सहायता तथा ऋण,अनुदान,चन्दा प्राप्त करना।
12– समस्त बिल,बाऊचर,ऋणपत्र,मांगपत्र,चैक अनुबन्ध पत्रो तथा अन्य आवश्यक प्रपत्रो मे हस्ताक्षर करना।
13– संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा तथा उस पर नियंत्रण रखना।
14– वैतनिक कर्मचारियो की नियुक्ति पदोन्नति तथा निष्कासन करना।
15– संस्था की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही का संचालन करना।
16– समिति की स्वीकृति की प्राप्ति पर आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।
17– संस्था के विकास हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

कोषाध्यक्ष–

1–आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।
2–दान,अनुदान,चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के विकास में लगानां।
3. सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
4–संस्था हित में पूर्ण सहयोग करना।

29.पर्यावरण संरक्षण,वृक्षारोपण,सामाजिक वानिकी एवं स्वच्छता हेतु सम्बन्धित गोष्ठियो के माध्यम से प्रचार प्रसार कराना उपभोक्ता जागरूकता शिविरो का आयोजन करना।

30. लोक कार्यक्रम कपार्ट ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार एवं पेट्रोलियम एवं वायो व प्राकृतिक गैस के विकास हेतु प्रभावी कार्य करना तथा ग्रामीणों को उनका लाभ दिलाना तथा प्रचार प्रसार करना गांवो में डेरी की स्थापना तथा ग्रामीण विकास सम्बन्धी समस्त कार्य करना।

31. समाज से बहिष्कृत महिलायें,बेसहारा,वृद्ध एवं अनाथ बच्चों के हित में कार्य करना व आवास,भोजन एवं रोजगार हेतु कार्य करना। मलिन बस्तियों के बच्चों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

32 हिन्दी अंग्रेजी,उर्दू,संस्कृत भाषा तथा भारतीय संस्कृति एवं कला का प्रचार प्रसार करना तथा साहित्यिक वैज्ञानिक,सास्कृतिक,कलात्मक तकनीकी शिक्षा के माध्यम से बालक बालिकाओ को आदर्श नागरिक बनाना, उर्दू,अरबी,फारसी भाषाओं के तालीम की व्यवस्था करना व मदरसा की स्थापना कर संचालित करना ।

33.पशु पक्षी जीवजन्तु संरक्षण, दुग्ध विकास आदि कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना तथा मत्स्यपालन, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती, पापड बनाना आदि ग्रामोद्योग की व्यवस्था कर सचालित करना।

34–जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य कल्याण,टीकाकरण,कुष्ठ उन्मूलन,दहेज उन्मूलन, वैश्यावृत्ति उन्मूलन, वैकल्पिक उर्जा विकास,ऊसर बंजर भूमि सुधार, वैकल्पिक उर्जा विकास कार्यक्रम, हरियाली कार्यक्रम एवं जल प्रबन्धन आदि कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना ।

35–संस्था द्वारा ग्रामोत्थान हेतु ग्रामोद्योग,कुटीर उद्योग धन्धों का संचालन कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र को प्रगति की ओर ले जाने में बढावा देना तथा संस्था के हित में कार्य करना

36–ग्रामीण एवं शहरी विकास हेतु गाव मे रोड लाइट,सडक सुरक्षा,पानी निकास, मूत्रालय, शौचालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के साथ– साथ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण लोगों को आवास आदि की व्यवस्था के साथ उनका हर प्रकार से विकास करने हेतु हरसंभव प्रयास करना।

37–बाल श्रमिको, गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले लोगों,वैश्याओं के सुधार हेतु हर संभव प्रयत्न करना एवं सभी अल्पसंख्यक समुदायो का सर्वे, सर्वेक्षण करवाकर उनके विकास हेतु प्रयास करना।

38–आर0सी0एच0बाल प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

39–राष्ट्रीय ,महिला कोष, राष्ट्रीय बाल कोष की परियोजनाओं का संचालन करना एवं सूचना क्रांति कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा उनका निर्माण करना। ।

AhlanRawa

10–संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया–

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन व परिवर्धन करना।

11–संस्था का कोष–

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीय कृत बैंक स्थानीय बैंक ,शेडयूल्ड बैंक या पी0ओ0 में संस्था के नाम खाता खोला जायेगा तथा खाते का संचालन सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा ।

12–संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा परीक्षण–

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

13–संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व –

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व सचिव पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति पर होगा।

14–संस्था के अभिलेख–

1–कार्यवाही रजिस्टर
2–सदस्यता रजिस्टर
3–स्टाक रजिस्टर
4–कैशबुक,लेजर आदि।

15– संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक–

– सत्य प्रतिलिपि –

हस्ताक्षर–

1.

2.

3. S.N. Abidi

18 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,उ0प्र0अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग कमिशन जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योगी कुटीर उद्योगो रेशम उद्योग की स्थापना व प्रचार प्रसार करना। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार मे सेनीटेशन, कैटरिंग कार्यो को करना।

19 जड़ी बूटियों एवं प्राकृतिक वनौषधियों को उगाना एवं उनकी उपयोगिता के बारे मे लोगों को जानकारी देना तथा जड़ी बूटियों की खेती मशरूम की खेती करने हेतु कृषको को निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना तथा कृषि एवं ग्राम्य विकास हेतु सर्वेक्षण, शोध एवं अनुसंधान कार्य करना।

20. प्राकृतिक चिकित्सा फिजियोथैरेपी जैसी चिकित्सा एवं योगा को प्रोत्साहित करना।

21 कृषि विकास हेतु आधुनिक कृषि यंत्रों, उर्वरक, बीज, सिंचाई के साधन तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य जानकारी कृषको को दिलाना जिससे कृषि उपज को बढ़ावा मिल सके,किसानों को वैज्ञानिक रूप से कृषि कार्य करने हेतु उत्तम प्रकार के बीज खाद, कीटनाशक दवायें तथा हरप्रकार की जानकारी देने हेतु सेमिनार,गोष्ठी आदि के माध्यम से कृषको को उत्थान करना तथा कृषि विविधीकरण की परियोजनाओं से किसानों को लाभान्वित कराये जाने हेतु हरसंभव प्रयास करना।

22 आवासीय विद्यालय, अनावासीय विद्यालय,अल्पसंख्यक विद्यालय,मिड डे स्कूल,महिला श्रमजीवी अल्पावास,डे केयर सेन्टर,दिव्यांग जन एवं सामान्य लोगों के लिए भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के कार्यक्रम की समुचित व्यवस्था कर संचालित करना।

23 जनहितार्थ चिकित्सालय, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, पालनाघर, क्रैच ,शिशु रक्षा केन्द्र बाल आश्रम अनाथालय, विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम एवं बाल सम्प्रेषण गृह केन्द्र,की व्यवस्था करना तथा बच्चो के आहार एवं निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र की समुचित व्यवस्था कराना।

[illegible]दान,नेत्र चिकित्सा,नेत्रदान ,परिवार नियोजन,दुर्घटना पीड़ितो उत्तम स्वास्थ्य [illegible] टीकाकरण आदि कार्यक्रमों को स्वास्थ्य विभाग के अनुमति के उपरान्त कराना।

[illegible] ज्ञानवृद्धि हेतु निःशुल्क पुस्तकालय,वाचनालय की स्थापना करना तथा बालक बालिकाओं के लिए छात्रावास, व्यायामशाला व क्रीडा केन्द्रो की व्यवस्था कराना।

26. आकस्मिक आपदा,जैसे महामारी,सूखा,बाढ़,अग्निकाण्ड,ओलावृष्टि,तूफान,भूकम्प, सड़क दुर्घटना एवं सड़क सुरक्षा आदि के समय सम्बन्धित पीड़ितो की हरसंभव सहायता करना।

27 कमजोर उपेक्षित,दलितो,पिछड़ो के उत्थान हेतु विकास कार्य एवं बाल श्रम कानून का समर्थन करते हुये बाल श्रम विद्यालय की स्थापना कर संचालित करना एवं स्ट्रीट चिल्ड्रेन बच्चो को संरक्षण देते हुये बौद्धिक विकास हेतु यथासंभव प्रयास करना।

28. युवा खिलाड़ियो के लिए खेल प्रतियोगिताओं को कराकर उन्हे जिला स्तर,प्रदेश स्तर,राष्ट्रीय स्तर तक खेल में सम्मिलित करना तथा कुशल खिलाड़ियो को पुरूस्कृत करना व खेल के प्रति रूचि पैदा करना।

Abdaukaka

40–शिक्षित और अशिक्षित अल्पसंख्यक पिछडी सामान्य अनुसूचित जाति अन्य जाति के बालक बालिकाओं हेतु स्टेनो टाइपिंग नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, टी0वी प्रशिक्षण,निःशुल्क महिला अस्पताल खोलना, आर्मेचिंग, इलेक्ट्रिशियन, अनाथ आश्रम,यतीम खाना,कृषि मजदूरों की मदद करना, प्रौढ शिक्षा आदि की व्यवस्था कर संचालित करना।

41–राष्ट्रीय मेला प्रदर्शनी,सेमिनार,/कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यकम,सांस्कृतिक शोध पत्र का निःशुल्क प्रकाशन, विशिष्ट कार्यो के लिए पुरस्कार की व्यवस्था कराने का प्रयास करना।

42– बच्चों तथा शिशुओं के सर्वांगीण विकास के लिये उपयुक्त शिक्षा प्रणालियों तथा कल्याण सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराना तथा बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिये टीके तथा बैक्सीन के माध्यम से प्रतिरक्षित कराने हेतु निःशुल्क व्यवस्था करना।

1 [signature]

2 [signature]

3 S.N. Abidi

4 Sajjad

विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खादी ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोद्योग बोर्ड,कृषि मंत्रालय विकास विभाग, मद्य निषेध, सांस्कृतिक विभाग, प्रौढ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा एवं बाल विकास कल्याण निदेशालय, बागवानी बोर्ड, यूनीसेफ विकलांग विभाग एवं महिला कोष ग्राम्य विकास विभाग,ग्रामीण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम,नेशनल बुक ट्रस्ट,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हार्टिकल्चर विभाग पिछडा वर्ग विभाग,वन विभाग, कौशल विकास योजना व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमो का प्रचार प्रसार कार्य करना।

10 समाज के दिव्यांग जन, (विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति) लोगो के शैक्षिक बौद्धिक विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाये खोलना तथा योग्यतानुसार शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था कर उन्हें स्वावलम्बी बनाना।

11 मेधावी छात्रो के लिए मेडिकल/ इंजीनियरिंग आदि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना शासन की अनुमति के उपरान्त करना व समाज की मुख्य धारा से जोडने के लिए सतत प्रयास करना एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओ को निःशुल्क प्री मेडिकल कोचिंग की व्यवस्था कर स्वावलम्बी बनाना।

12 हस्तशिल्प एवं हस्तशिल्पियों,टैक्सटाइल विभाग से सम्बन्धित कार्यक्रम के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन/ प्रचार प्रसार करना एवं संस्था के माध्यम से लघु/टेली फिल्म का निर्माण करना तथा थियेटर, नृत्य, गायन का प्रशिक्षण युवा कलाकारो को देकर उन्हें स्वावलम्बी बनाना।

13 विधवा निराश्रित,प्रताडित,पीडित,असहाय,परित्यक्ता तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिको के बच्चे–बच्चियों एवं उनके परिवारों को सहायतित कराना को निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओ को उपलब्ध कराना।

14 शासन द्वारा संचालित एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत महिलाओ तथा बेरोजगारों को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना तथा महिला/युवको के समूहो का गठन करना ।

15 राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। एग्रीकल्चर,फ्लोरीकल्चर एवं शेरीकल्चर को बढावा देना तथा किसानों के हितार्थ कार्य करना।

16 सामाजिक कुरीतियों जैसे–दहेज प्रथा, मद्यपान, महिला उत्पीडन, अस्पृश्यता निवारण, धूम्रपान आदि के निवारणार्थ विचार गोष्ठियो /शिविरों के माध्यम से जन चेतना का प्रचार प्रसार करना।

17 राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना व शुद्ध पेयजल, ग्रामीण अंचलों में जल एवं भूमि प्रबन्धन कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना तथा हैण्डपम्प नाली सम्पर्क मार्ग, खडंजा आदि की समुचित व्यवस्था कराने का प्रयास करना

1 [signature]

2 [signature]

सत्य प्रतिलिपि

[signature]

प्रधान सहायक

कार्यालय डिप्टी रजिस्टार

संशोधित स्मृति पत्र

1–संस्था का नाम : नेस्ट फाउन्डेशन

2–संस्था का पता : एम–5,बादशाह बाग कालोनी,फातमान रोड,वाराणसी

3–संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उ0प्र0

4–संस्था के उद्देश्य –

1.जनसाधारण का सामाजिक,मानसिक,नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास करना।

2.संस्था के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से संचालित साक्षरता कार्यक्रम /सर्व शिक्षा जागरूकता कार्यक्रमों को सफल बनाने मे सहयोग करना।

3 समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम,विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन,खेलकूद प्रतियोगिता,वाद विवाद प्रतियोगिता,जागरूकता शिविर,निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आदि का आयोजन व संचालन करना तथा राष्ट्रीय एकता,साम्प्रदायिक सदभावना शिविरों का आयोजन करना।

4 बालक बालिकाओं के लिए प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक शिक्षा विभाग के मानको के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर संचालित करना तथा उनके पठन पाठन की समुचित व्यवस्था करना।

5 पल्स पोलियो ड्राप,एड्स,कैन्सर,टी0बी0,हैपेटाइटिस–बी,मधुमेह,नशामुक्ति,कुष्ठ रोग मलेरिया एवं जानलेवा रोगों की पहचान/जांच कर उसकी रोकथाम के उपाय करना तथा जागरूकता शिविरो की आयोजन कर उनका उन्मूलन करना उपभोक्ता संरक्षण, एवं जागरूकता शिविरो का आयोजन कर प्रचार प्रसार करना।

6–मुस्लिम वर्ग के बालक बालिकाओं को आदर्श नागरिक बनाना, उर्दू, अरबी, फारसी भाषाओं के तालीम की व्यवस्था करना व मदरसा,मकतब की स्थापना कर संचालित करना ।

7–महिलाओं/बालिकाओं तथा युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई,बुनाई शिल्पकला, ब्यूटीशियन कोर्स,हस्तशिल्प कला,ललित कला, संगीत, गायन, वादन, फैशन डिजाइनिंग,चिकन प्रिन्टिग, जरी, वाल पेन्टिग, मिट्टी के वर्तन, फ्लावर मेकिंग, अचार, मुरब्बा, फल सरंक्षण, फूड प्रोसेसिंग, खादी तथा कलात्मक वस्तुओं के निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें स्वावलम्बी बनाना।

8–अनु0जाति,जनजाति,कमजोर वर्ग एवं पिछड़े,अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं/महिलाओं हेतु आधुनिक शिक्षण संस्थाओं जैसे –कम्प्यूटर शिक्षा,व्यावसायिक शिक्षा,तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा इलेक्ट्रानिक प्रशिक्षण केन्द्रो की निःशुल्क व्यवस्था कर संचालित करना तथा बेरोजगार बालक बालिकाओं के लिए हार्डवेयर/साफ्टवेयर का निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था कर संचालित कर उन्हे आत्मनिर्भर बनाना।

9 राज्य सरकार, केन्द्र सरकार,समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0एवं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास एवं महिला कल्याण विभाग/निगम,.हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय विभाग, नाबार्ड, कपार्ट, सिडवी,सिफ्सा, अल्पसंख्यक

1 Ahsan Raza

2 Kamar

3 S.N. Abidi

4 Sajjad

सत्य प्रतिलिपि

सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ

1

संशोधित नियमावली

1—संस्था का नाम : नेस्ट फाउन्डेशन

2—संस्था का पता : एम—5,बादशाह बाग कालोनी,फातमान रोड,वाराणसी

3—संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उ0प्र0

4—संस्था की सदस्यता तथा सदस्यो के वर्ग—

आजीवन सदस्य—

जो व्यक्ति नि:स्वार्थ भाव से एक बार में 1000/—रूपये नगद या उतने ही मूल्य की चल अचल सम्पत्ति प्रदान करता हो वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

सामान्य सदस्य—

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 100/—रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करता हो वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा।

5—सदस्यता की समाप्ति—

1—मृत्यु हो जाने पर।

2—पागल या दिवालिया हो जाने पर।

3—लगातार 3 बैठको मे अनुपस्थित होने पर।

4—नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।

5—किसी नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।

6—संस्था के प्रति हानिकर कार्य करने पर।

7—अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र देने पर।

6—संस्था के अंग —

1—साधारण सभा

2—प्रबन्धकारिणी समिति

7—साधारण सभा—

गठन—

संस्था के आजीवन तथा सामान्य सदस्यो को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठके—

संस्था की सामान्य बैठक साल में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि—

संस्था की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व लिखित रूप मे दी जायेगी।

गणपूर्ति— साधारण सभा के 2/3 सदस्यो की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विषेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि—

साधारण सभा की सामान्य बैठक का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

Ahsan Raza

पता संशोधन कार्यवाही की प्रतिलिपि

आज दिनांक 30–05–2019 को संस्था– **नेस्ट फाउन्डेशन** पता–**294 / 87ग,बाजार खाला ,लखनऊ** के कार्यालय प्रागंण में उपाध्यक्ष, सैय्यदा नगमा आब्दी की अध्यक्षता में समय–11.00 बजे बैठक सम्पन्न हुई बैठक में कोरम पूर्ण रहा तथा निम्न प्रकार प्रस्ताव पारित हुये–

प्रस्ताव नं01

पिछली कार्यवाही की पुष्टि — पिछली कार्यवाही सचिव उपस्थित जनों को पढ़कर सुनाई गई व सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

प्रस्ताव नं02

संस्था का पता परिवर्तन करने पर विचार

संस्था के अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा कि संस्था का कार्य–**294 / 87ग,बाजार खाला लखनऊ** मे सुचारू रूप से नही चल पा रहा है जिससे संस्था का पता परिवर्तन करना आवश्यक है संस्था का नया पता–**एम–5,बादशाह बाग कालोनी फातमान रोड, वाराणसी** परिवर्तित करने हेतु उपस्थित जनों के सम्मुख प्रस्ताव रखा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से निर्णय पारित हुआ तथा संस्था का पता–**294 / 87ग,बाजार खाला, लखनऊ** के स्थान पर **एम–5, बादशाह बाग कालोनी, फातमान रोड,वाराणसी** परिवर्तित किया गया।

अन्य किसी प्रकार का प्रस्ताव नही आया। बैठक समाप्त की गई।

––सत्य प्रतिलिपि ––

हस्ताक्षर–

1 AhsanRaza

2 Suman

3 S. N. Abidi

4 Sajjad

प्रतिलिपि

नेस्ट फाउन्डेशन पता–एम–5,बादशाह बाग कालोनी,फातमान रोड,वाराणसी के प्रबन्धकारिणी समिति की सूची

संशोधित वर्ष 2019–2020

नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
श्रीमती समन रिजवी पत्नी श्री अहसन रजा	एम–5,बादशाह बाग कालोनी,फातमान रोड,वाराणसी	अध्यक्ष	समाजसेवा
सैय्यदा नगमा आब्दी पत्नी श्री दानिश हुसैनी	7 / 3,लारेन्स रोड,बी0डी0 स्टेट,नई दिल्ली	उपाध्यक्ष	काउन्सलर
अहसन रजा पुत्र श्री एस0 डब्ल्यू हसन	एम–5,बादशाह बाग कालोनी,फातमान रोड,वाराणसी	सचिव	समाजसेवा
सैय्यद मो0 सज्जाद जैदी पुत्र सैय्यद मो0 रजी	293 / 139क,कदीम हैदरगंज,लखनऊ	कोषाध्यक्ष	इंजीनियर
सैय्यदा मनार फातिमा नकवी पत्नी श्री मोहसिन रजा	एम–5,बादशाह बाग कालोनी,फातमान मार्ग,बादशाह कालोनी,कैन्ट, वाराणसी	सदस्य	समाजसेवा
सैय्यद फक मेंहदी पुत्र स्व0 सैय्यद मजाहिर हुसैन	54 / 63,महावीर रोड,अर्दली बाजार,वाराणसी	सदस्य	व्यापार
बिर्जीस जहेरा पुत्री श्री सैय्यद वजीहुल हसन	एम–5,बादशाह बाग,थाना सिंगरा,वाराणसी	सदस्य	अध्यापिका
श्रीमती फौजिया हसन पत्नी श्री रजा मेंहदी जैदी	अख्तर मंजिल,सर सैय्यद रोड,दौदपुर सिविल लाइन कोल अलीगढ उ0प्र0	सदस्य	समाजसेवा
श्रीमती सबीहा हसन पत्नी श्री विवेक मिश्रा	559 / ख / 307,श्री नगर नजदीक बी0एन0 लाल इण्टर कालेज,आलमबाग,लखनऊ	सदस्य	समाजसेवा

–सत्य प्रतिलिपि –

हस्ताक्षर–

1 AhsanRaza

2 Kamran

3 S.N. Abidi

4 Sajjad

(मुहर: निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ... लखनऊ (उ0प्र0))

सत्य प्रतिलिपि

सहायक ... रजिस्ट्रार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AD 724308

... नैरुट फाउन्डेशन

जिला वाराणसी ... नं० 173883

संशो० स्मृति पत्र ... है।

सत्य प्रतिलिपि

... सहायक

... डिप्टी रजिस्ट्रार

... लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AD 724306

यह जनरल स्टाम्प पत्र नेहरू फाउन्डेशन

जिला वाराणसी फाईल नं० 172882

[illegible] 2019-20 के साथ संलग्न है।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स [illegible] (उ०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

लखनऊ

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 187079

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 4356

दिनांक 26-07-2019

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या	पत्रावली संख्या	दिनांक
1053	1–173883	2014-2015

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ....नेस्ट फाउण्डेशन; एम–5;........

बादशाह बाग कालोनी, फातमान रोड, वाराणसी। ....को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 615 दिनांक 26-06-2014 को दिनांक

.....26-06-2019से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

.............1000.................रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 23-07-2019

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

यू0पी0–ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क0/टी0/आफसेट)।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 88AD 724307

यह जनरल स्टाम्प पत्र नेस्ट फाउन्डेशन

जिला ~~लखनऊ~~ वाराणसी नं० 1223883

कार्यालय दि० 8-00-51 के साथ संलग्न है

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स लखनऊ मण्डल लखनऊ (उ०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि

सहायक

निबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स

मण्डल लखनऊ